बाराबंकी पुलिस

थाना कोतवाली नगर

दिनांक- 23.10.2024

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा अपहरण, लूट व हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए **"Operation Conviction"** कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में **थाना कोतवाली नगर** पर **अपहरण, लूट व हत्या की घटना** के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2016 धारा 364/302/201/392 भादवि से सम्बन्धित **अमीन उर्फ मिठ्ठू** पुत्र वारिस अली निवासी झरिया दतौली थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **आजीवन कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। **उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक**

उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.01.2016 को थाना कोतवाली नगर पर वादी अकरम पुत्र रईस निवाली आलापुर थाना को0 नगर जनपद बाराबंकी ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र का अपहरण किए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0 24/2016 धारा 363/379 भादवि बनाम 1- अमीन उर्फ मिठ्ठू पुत्र वारिस अली निवासी झरिया दतौली थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी 2- रिजवान उर्फ छोटा पुत्र मो0 रमजान निवासी आलापुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 364/302/201/392 भादवि की बढ़ोत्तरी व 379 भादवि घटोत्तरी की गयी। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री राजनाथ यादव थाना को0 नगर द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1-श्री मथुरा प्रसाद वर्मा ए0डी0जी0सी ए0एस0जे0 कोर्ट नं0-04 जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-का0 आदर्श कुमार मिश्र, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-म0का0 मंजू पैरोकार को0नगर जनपद बाराबंकी
7-कोर्ट मो0 हे0क0 ईश्वरचन्द्र कोर्ट नं0-04 जनपद बाराबंकी